

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-1/PMC/विविध/879/2024-पार्ट-III 504
प्रेषक,

पटना, दिनांक-19/10/24

ब्रजेश मोहन
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक एवं वाल्मी सहित)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- विभाग द्वारा निर्गत आदेश संख्या-1/PMC/विविध/879/2012-909 दिनांक-17.12.2015, 1/PMC/विविध/879/2012-201 दिनांक-14.03.2016 एवं 1/PMC/विविध/879/2012-202 दिनांक-14.03.2016 का परिपालन सट्टा पूर्वक करने के संबंध में।

महाशय,

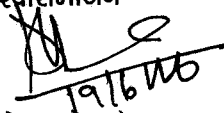
उपरोक्त विषयक माननीय सदस्य (न्यायिक) लोकायुक्त, बिहार द्वारा परिवाद संख्या-01/लोक(लघु सिंचाई)-11/2011 में दर्ज श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, जमसड़, मीरगंज, गोपालगंज के विरुद्ध नहर कार्य में धांधली, वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के आरोप के संदर्भ में पारित न्याय निर्णय अंकित किया गया है -

"Having regard to the experience gathered by the Institution of Lokayukta in view of repeated receipt of similar complaints of making payment even in respect of incomplete works after the expiry of the period assigned for its completion, it is necessary for the Vigilance Department to issue a firm direction in the form of a circular so that in future no Engineer can make payment to any contractor for incomplete works after expiry of the period of contract whether by way of running bill or otherwise, inasmuch as if the contractor has not completed the work and claimed payment for the incomplete works done by way of running bill that in fact would amount to breeding and encouraging the corruption. As a matter of fact in such case instead of making payment to the contractor immediate action should be taken against the contractor for blacklisting him and also for ensuring taking other penal actions as per terms and conditions of the agreement."

उक्त के संदर्भ में निदेशित किया जाता है कि विभाग द्वारा निर्गत आदेश संख्या-1/PMC/विविध/879/2012-909 दिनांक-17.12.2015, 1/PMC/विविध/879/2012-201 दिनांक-14.03.2016 एवं 1/PMC/विविध/879/2012-202 दिनांक-14.03.2016 का परिपालन सट्टा पूर्वक किया जाय। सुलभ संदर्भ हेतु आदेश संख्या-1/PMC/विविध/879/2012-909 दिनांक-17.12.2015, 1/PMC/विविध/879/2012-201 दिनांक-14.03.2016 एवं 1/PMC/विविध/879/2012-202 दिनांक-14.03.2016 पत्र के साथ संलग्न है।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक-1/PMC/विविध/879/2024-पार्ट-III 504

प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक- 19/06/26


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक-1/PMC/विविध/879/2024-पार्ट-III 504

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण/ सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक- 19/06/26


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक-1/PMC/विविध/879/2024-पार्ट-III 504

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता आई0टी0, सूचना एवं प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार को ई-मेल एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक- 19/06/26


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।